न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 80/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री कमल पुत्र आतूमल गिलानी वेन्डर आफ मैसर्स तेजूमल एंड संस, रिफ्रेशमेंट स्टॉल नियर बुक स्टॉल, प्लेटफार्म न. 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
2. श्री गोरधन कुमार पुत्र तेजूमल वेंडिंग कांट्रेक्टर मैसर्स तेजूमल एंड संस, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, नियर बुक स्टॉल, प्लेटफार्म न. 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। पता– मकान नम्बर 20 बी, सतगुरू कॉलोनी, वार्ड न. 11, अजय नगर, अजमेर।
3. श्री ललित कुमार गोयल, प्रोपराईटर M/S G.L. Agencies, Near Sitaram Dudwala Pattikatla, Agra Gate, Ajmer. House No. 432/23, House of Ratan lal cloth Merchanr Ganj, Ajmer
4. M/S G.L. Agencies, Near Sitaram Dudwala Pattikatla, Agra Gate, Ajmer.
5. श्री हरिशंकर जांगिड, भागीदार श्री बाला जी एंटरप्राइजेज, सी–31, प्रेमनगर, मुहाना रोड़, सांगानेर, जयपुर। पता– वार्ड न. 23, नियर सवाई माधोपुर रोड़, सांगानेर, जयपुर।
6. श्री किशनलाल सैनी, भागीदार श्री बाला जी एंटरप्राइजेज, सी–31, प्रेमनगर, मुहाना रोड़, सांगानेर, जयपुर। पता– 182, मालियों का मोहल्ला, बड़ी जोड़ी, शाहपुरा, जयपुर।
7. श्री बाला जी एंटरप्राइजेज, सी–31, प्रेमनगर, मुहाना रोड़, सांगानेर, जयपुर।
8. Shree Abhishek Dhirendra Singh Director, M/S Manpasand Beverages Limited, E-52, Manjusar GIDC, Savli Road, Vadodara 391775
9. Shree Dharmendra Hansraj Singh Director, M/S Manpasand Beverages Limited, E-52, Manjusar GIDC, Savli Road, Vadodara 391775
10. M/S Manpasand Beverages Limited, E-52, Manjusar GIDC, Savli Road, Vadodara 391775

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 एवं 52 के तहत

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

उपस्थित : अप्रार्थी सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक—30.08.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड मनपंसद मेंगो सिप ब्राण्ड के मेंगो फ्रूट ड्रिंक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.06.2014 को दोपहर 02.00 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स— तेजूमल एंड संस, रिफ्रेशमेंट स्टॉल नियर बुक स्टॉल, प्लेटफार्म न. 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर पर पहूँचे श्री कमल पुत्र आतूमल गिलानी मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु मनपंसद मेंगो सिप ब्राण्ड के मेंगो फ्रूट ड्रिंक की 500—500 एम0 एल0 की 875 बोतलें रखी हुई थी। मनपंसद मेंगो सिप ब्राण्ड के मेंगो फ्रूट ड्रिंक में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु मेंगो फ्रूट ड्रिंक की 4 बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु 120/— रूपयें श्री कमल को नगद देकर गवाह श्री मनोज कुमार सिन्हा सी.एच.आई. अजमेर एवं श्री लोकेश कुमार शर्मा एन्टी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई. जयपुर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री कमल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा मनपंसद मेंगो सिप ब्राण्ड के मेंगो फ्रूट ड्रिंक की 1—1 बोतल के पैकेट बनाकर प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोनों ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एन.डब्ल्यू.आर.—057 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

कवर मे सील बंद कर कार्यालय उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/057/जेपी. दिनांक 09.07.2014 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. 310/एफएसएसए/2014/320 दिनांक 01.07.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया मेंगो फ्रूट ड्रिंक सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 15.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कमल व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 22.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं एवं आगामी पेशी पर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब नोटिस पेश किया शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाब नोटिस पेश नहीं करने के कारण पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन अप्रार्थीगण में से केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए, उन्हे सुना गया। उन्होने उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा मनपंसद मेंगो सिप ब्राण्ड के मेंगो फ्रूट ड्रिंक का निर्माण नहीं किया जाता है। उनके द्वारा तो केवल निर्माता कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर से पेय पदार्थ क्रय कर आम जनता को विक्रय किया जाता है। उसमें किसी भी ग्राहक अथवा दुकानदार द्वारा खाद्य वस्तु पर लगे लेबल के बारे में आज तक शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि इनके द्वारा सामान की उसी रूप में आगे सप्लाई की जाती है जिस रूप में इनको सामान की डिलवरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के द्वारा भेजी जाती है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई नियन्त्रण नहीं होता। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों, खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मेंगो फ्रूट ड्रिंक सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री कमल एवं श्री गोरधन कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत मिथ्याछाप पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 में मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री कमल एवं श्री गोरधन कुमार को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री कमल एवं श्री गोरधन कुमार को रु. 5000–5000/– कुल 10000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 30.08.2017 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.08.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2017/ 3378-81 दिनांक : 27.9.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर।
3– श्री कमल पुत्र आतूमल गिलानी वेन्डर आफ मैसर्स तेजूमल एंड संस, रिफ्रेशमेंट स्टॉल नियर बुक स्टॉल, प्लेटफार्म न. 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
4. श्री गोरधन कुमार पुत्र तेजूमल वेंडिंग कांट्रेक्टर मैसर्स तेजूमल एंड संस, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, नियम बुक स्टॉल, प्लेटफार्म न. 1, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner